न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 43/2015

श्री कूका पुत्र श्री मेवा आयु 30 वर्ष जाति चीता निवासी मोतीपुरा, तहसील मसूदा जिला अजमेर। —— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब महोदय, मसूदा जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

:– निर्णय :– दिनांक 30.05.2016

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने सरांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मोतीपुरा पटवार क्षेत्र केरिया भू. अ. नि. क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 2 के खसरा न0 193 व खाता सं0 3 के खसरा न0 337, 344 व 372 एवं खाता सं0 119 के खसरा न0 368 में खातेदार प्रार्थी के पिता स्व0 मेवा जी खातेदार काश्तकार चले आते थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिसान श्रीमती अणदी, सुलेमान एवं कूका उर्फ बालू के नाम विरासत दर्ज की गई। इस विरासत में प्रार्थी का नाम उसके वास्तविक नाम कूका के स्थान पर बोल–चाल के नाम बालू से दर्ज कर दिया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को के0सी0सी0 बनवाते समय हुई है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजात में नाम कूका दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में भी प्रार्थी का नाम बालू के स्थान पर कूका वल्द मेवा दर्ज करवाया जावे।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प मु. मायला पर पेश हुई। जलसाए आम में प्रार्थी के नाम बाबत् उपस्थित मौतबिरान एवं सरपंच ग्राम पंचायत मायला जानकारी चाही गई तो सभी ने एक स्वर में अवगत करवाया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कूका वल्द मेवा है जो उसके सभी दस्तावेजत में दर्ज है। ऐसे ही शपथ पत्र स्वतंत्र गवाह काना पुत्र प्रताप व प्रार्थी की माता अणदी ने भी पेश किये हैं ऐसे में प्रार्थी को बालू नाम से उसे घर कर बोल–चाल में कहा जाना जाहिर आया है। लोगों ने प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में भी कूका दर्ज करवाने का निवेदन किया। उसकी पुष्टी में मैंने प्रार्थी के दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वोटर आई0डी0 व आधार कार्ड, राशन कार्ड जो प्रार्थी की माता अणदी के नाम से है में प्रार्थी का नाम कूका पुत्र मेवा दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मसूदा पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वह ग्राम मोतीपुरा पटवार क्षेत्र केरिया तहसील मसूदा की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के क्रमशः खाता सं0 2, 3 व 119 की अराजी में प्रार्थी का नाम बालू वल्द मेवा के स्थान पर कूका वल्द मेवा जरिये नामान्तकरण दर्ज करवाने की व्यवस्था करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम मायला पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 17:23:35 IST
Reason: SelfAttested